" म.प्र. शासन द्वारा कृषकों के हित के लिए संचालित अनुदान योजनाए "

(देवास जिले के विशेष सन्दर्भ में)

आकांक्षा देशमुख
सहायक.प्रध्यापक (वाणिज्य)

डॉ. राकेश महाजन
प्रध्यापक (वाणिज्य)

शा.महाविद्यालय सोनकच्छ (म.प्र)

प्रस्तावना :– किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे अगर आर्थिक प्रणाली की रीढ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नही होगी। वास्तव में कृषि क्षेत्र खाद्यान और कच्ची सामग्री तो उपलब्ध करता ही है, यह आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। भारत मे हमारी कार्यशील जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है। हमारे देश का लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि और संबध्द क्षेत्र से सीधे तोर पर जुड़ी हुई है। इसके विपरीत,विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अनुपात बहुत कम है। भारत मे कृषि क्षेत्र का ऊचा अनुपात इस वजह से है क्योंकि तेजी से बढ़ रही आबादी की आवश्यकता के अनुसार गैर–कृषि क्षेत्र की गतिविधिया पर्याप्त रूप से विकसित नही हो पाई है। कृषि हमारी राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्त्रोत है। केन्द्रीय साख्यिकीय संगठन के अनुसार वर्ष 1960–61 में कृषि और संबध्द क्षेत्रों का योगदान 52 प्रतिशत था वर्ष 2001–02 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 32.4 प्रतिशत दर्ज की गई। कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए यू तो हमेशा से ही प्रयास किए जा रहे है। लेकिन मौजुदा सराकर ने इस बारे मे जो गंभीर और निष्ठापूर्ण प्रयास किए है, उनके सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिवाम सामने आयें है। सरकार ने क ृषि क्षेत्र पर खास ध्यान देते हुए इनके लिए कई योजनाएँ संचालित की गई है।

म.प्र. मे कृषि :– म.प्र. के लिए कृषि वास्तविक अर्थ में जीवनरेखा रही है। म.प्र. एक कृषि प्रधान राज्य है। यहा की तीन चौथाई जनसंख्या कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसाय के जरिये जीवन यापन करती है। और यही व्यावसायिक एकरूपता समाज को वास्तम में एक सुत्र मे पिरोने का काम करती है।

म.प्र की कृषि योग्य भूमि चंबल मालवा का पाठार और रेवा के पठार से मिलती है। म.प्र. की कृषि की विशेषताएँ कृषि की परम्परागत पध्दति का उपयोग है। कृषि योग्य भूमि का केवल 15 प्रतिशत भाग ही संचित है। राज्य की कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। म.प्र. मे होने वाली सिंचाई मुख्यतःनहरो व गावों के तलाबों औरा झिलों से होती है। म.प्र. की मुख्यतः फसले चावल,गेहूँ,ज्वार,दलहन,और मूगफली है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मे मुख्यतः चावल उगाया जाता है। पश्चिमी म.प्र. मे गेहूँ उवं ज्वार अधिक होता है। अन्य फसलों मे अलसी,तील,बाजरा,प्रमुख है। क्षेत्रफल के मामले में

म.प्र.देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 308 लाख हेक्टेयर है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9 प्रतिशत है।

शोध क्षेत्र का परिचय :– देवास जिले का गठन म.प्र. के अन्य जिलों की तरह नवम्बर 1956 में हुअरा। यह जिला प्रशासनिक दृष्टि से इंदौर संभाग के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में देवास जिले 8 तहसीले और 6 विकास खण्ड हे। जिसका प्रशासनिक मुख्यालय देवास में स्थित है। जिले में 1114 आबाद, गाँव 1 जिला पंचायत, 6 जनपद पंचायत ,497 ग्राम पंचायत कार्यरत है। जिले में 236 पटवारी हल्का है। देवास जिले`का भौगोलिक क्षेत्रफल 7020 वर्ग किलोमीटर है। जो मध्यप्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.3 प्रतिशत है देवास जिले की तहसील व विकास खण्ड दस प्रकार है।

तलिका क्रमांक :– 4.1

जिला	क्रमांक	तहसीले	गाँव
	1	देवास	224
	2	टोंकखुर्द	111
देवास	3	सोनकच्छ	131
	4	कन्नौद	65
	5	सतवास	108
	6	बागली	210
	7	हाटपिपल्या	97
	8	खातेगाँव	168

स्त्रोतः– जिला सांख्यिकी कार्यालय देवास

मालवा अंचल के स्थित होने के कारण क्षेत्र में अधिकांश भाग काली मिट्टी का विस्तार है। परन्तु देवास जिले में काली मिट्टी के अतिरिक्त लाल मिट्टी, पीली मिट्टी भी सीमित मात्रा में पाई जाती है।

इस क्षेत्र में प्रमुख चार प्रकार की मिट्टीयाँ पाई जाती है।

1. मध्यम काली मिट्टी
2. कछारी या कांप मिट्टी
3. कंकाली मिट्टी
4. पीली–दूमट मिट्टी

यह मिट्टी प्रमुख रूप से नर्मदा जिले की धरमपुरी तहसील मे फैली हुई है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य :–

1) कृषि क्षेत्र में अविकसित विकास, लाभकारी रोजगार से सृजन पर्यावरण का संरक्षण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के विकास में अध्ययन करना।

2) किसान की आर्थिक स्थिति व संसाधनों के अभाव में जीवन यापन करने वाले किसानों को उनके कृषि विकास में

नये खोजों के माध्यम से भारतीय कृषि व्यवस्था की सुदृढ़ करना मूल्य लक्ष्य है।

3) मौसमी तथा कीमतगत उच्चावनों से कृषकों संरक्षण प्रदान करना एवं कृषि को लाभ का व्यापार बनाना।

4) प्रौद्योगिक तथा संसाधनों का प्रभाव प्रयोग सुनिश्चित करना कृषकों को उनकी समग्र आवश्यकता के अनुरूप साख उपलब्ध कराना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना :– किसी भी विषय का गहन अध्ययन करने के लिए अनेक परिकल्पना का सहारा लिया जाता है। परिकल्पना शोध के सम्भावित परिणामों की पूर्व कल्पना है। परिकल्पना सत्य एवं असत्य दोनों ही हो सकती है। प्रस्तुत शोध कार्य के लिए निम्न परिकल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। जिसमें शोध के दौरान सत्यता परखी जायेगी।

1. देवास जिले में कृषकों की स्थिति सुदृढ हैं।
2. देवास जिले मे शासन द्वारा चलाई योजनाओं से किसान संतुष्ट है।
3. शासन की अनुदान योलनाओं से किसानों की आर्थिक उवं सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।

संचालित अनुदान योजनाए :–

1. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :–** मानसुन पर खेती की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि योजना बनाई है। जिसका उद्देश्य "हर खेत को पानी" इस योजना का प्रांरभ 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस योजना मे 5 वर्षो (2015–16 से 2019–20) के लिए 50,000 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। बजट 2018–19 में सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रू. आबंटन किया गया है। इस योजना में तीन मंत्रालयों का गठन किया गया जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूध्दार मंत्रालय, ग्रामिण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की विभिन्न जल संरक्षण संचयन एवं भूमि जल संवर्धन तथा जल वितरण सम्बंधित कार्यो को समेकित किया गया है। इस योजना द्वारा सरकार इस बात का ख्याल रखेगी की देश मे पानी का उपयोग सही ढंग से सही चीज के लिए काम आये और इसके साथ ही पानी की कम से कम बर्बादी हो। किसान सिंचाई के लिए मुंसीपाल्टी के बेकार पानी को पुनः प्रयोग करना सिखे इससे पानी की बचत भी होगी और फसल को पर्याप्त पानी भी मिलेगा। कृषि विभाग मे पानी का सही प्रबंधन और इसका सही रख रखाव हो यही इस योजना का लक्ष्य है।

2. तालिका क्रमांक 6.01

3. भारत में सिंचाई साधनों का कुल संचित क्षेत्रफल प्रतिशत

क्र	विवरण	कुल संचित क्षेत्र का प्रतिशत
1	नहरों द्वारा सिंचाई	37.09
2	तलाबों द्वारा सिंचाई	07.00
3	ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई	28.04
4	कुओं द्वारा सिंचाई	20.05
5	अन्य द्वारा साधन	06.02

Source – statistical survey of india.

इस योजना के तहज किसानों को सब्सिडी दी जायेगी :– सभी वर्ग के लघु/सीमांत कृषक 55 प्रतिशत का अनुदान एवं सभी वर्ग के बड़े कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। किसानों के साथ ही राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 10 प्रतिशत तथा सामान्य जाति के किसानों के लिए 5 प्रतिशत का टापअप सब्सिडी दिया जायेगा। कुल मिलाकर सामान्यः वर्ग के किसानो के लिए 60 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग के किसानों के लिए 65 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। सभी किसानों को 10,000/– रूपये अनुदान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पंपसेट,पर 50 प्रतिशत सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है।

योजना	घटक	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	स्प्रिंकल	लघु/सीमान्तःकृषको को 55 प्रतिशत अनुदान
		अन्य कृषको को 45 प्रतिशत अनुदान
	ड्रीप	लघु/सीमान्त कृषकों को 55 प्रतिशत अनुदान
		अन्य कृषको को 45 प्रतिशत अनुदान

अन्नपूर्णा योजना : – यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे प्रचलित है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्तः कृषकों जो विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान किस्मों के बीज क्रय करने मे असमर्थ होते है। ऐसे कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराये जाते है जिससे उत्पादकता उवं उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आर्थिक स्थिति में सूधार लाया जा सके।

कृषकों को प्रमाणित बीच उपलब्ध कराया जायेगा। प्रमाणित बीज की कमी रहने की स्थिति एवं फसल विशेष की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए संचालक कृषि की अनुमति से सत्य रूप से बीज का वितरण किया जा सकेगा।

जो भी कृषक जिस किसी भी फसल के बीज देगा उसके बदले मे उसको भूमि एवं क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्मो के बीज बराबर मात्रा में एक हेक्टेयर की सीमा तक के लिए उपलब्ध कराये जावेंगे।

यदि कृषक अन्य फसल का बीज देता है। तो कृषक द्वारा दिया गया बीज चाही गई फसल के प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत मुल्य का होना चाहिए।

कृषकों द्वारा दिए गए अलाभकारी फसलों के बीज के बदले। हेक्टर की सीमा तक खाद्यान फसलों के उन्नत एवं संकर बीज प्रदाय किये जाते है। प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू. 1500/– की पात्रता होती है। कृषक के पास बीज उपलब्ध नही होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत नकद राशि कृषक को देनी होती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन :– सरकार ने खाद्यन्न उत्पादन में आई स्थिरता एवं बढ़ती जनसंख्या की खाद्य उपभोग को ध्यान मे रखते हुए, अगस्त 2007 मे केन्द्र प्रयोजित राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा मिशन योजना का शुभारम्भ किया।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य सुस्थिर आधार पर गेहूँ,चावल व दलहन की उत्पादकता मे वृध्दि लाना ताकि देश मे खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। इसका दृष्टिकोण समुन्नत प्रौद्योगिकी के प्रसार एवं कृषि प्रबंधन पहल के माध्यम से इन फसलों के उत्पादन में व्याप्त अंतर को दूर करना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मुख्य घटक :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तीन घटक होंगे

1. चावल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
2. गेहूँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
3. दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 11वी पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–08 से 2011–12) के लिए वित्तीय निहितार्थ 4882.48 करोड़ रूपये होगी इसके लिए लाभुक किसान उन जमीन पर शुरू की गई गतिविधियों पर आने वाली कुल लागत का 50 प्रतिशत भाग का वहन करेंगे अर्थात् उन्हे आधा हिस्सा देना होगा।

   लाभूक किसान इसके लिए बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि बैंकों मे जारी की जायेगी।

   इस योजना के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2011–12 तक चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन, गेहूँ के उत्पादन मे 8 मिलियन व दलहन के उत्पादन मे 2 मिलियन टन की वृधदि होगी। साथ ही यह अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा।

योजना	घटक	अनुदान दर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	पाईपलाईन	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 10000/ रू. लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू.15000/–(35रू.मी.) अधिकतम
	डिजल /विद्युतपम्प	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 10000 /
	इन्टरक्रापिंग	9000/– प्रति हेक्टर अनुदान
	कलस्टर फसल	9000/–प्रति हेक्टर अनुदान
	बीज वितरण	अधिकतम रू. 1300/– प्रति क्विटल अनुदान
	फसल पध्दति पर आधारित फसल प्रदर्शन	15000/– प्रति हेक्टयर अनुदान

निष्कर्ष :– देश मे कृषि और कृषक दोनों की स्थिति सुखद नही है। कृषि एवं कृषकों की स्थिति मे सुधार लाने के लिए शासन ने बहुत सी योजनाएँ संचालित ही है। इससे किसानों को इन योजनाओं के तहत एवं सब्सिडी आदि की सुविधाएँ ई गई है। इन योजनाओं से कृषकों को कृषि कार्य हेतु कम ब्याज पर ऋण एवं कम किमत पर अच्छी खाद्य एवं बीज उपलब्ध कराकर कृषि कार्य को विकसित एवं सुखद किया जा सके। इन योजनाओं से किसानों को उनकी समग्र आवश्यकता के अनुरूप खाद्य उपलब्ध कराना आदि

सन्दर्भ सूची :–

1. mp.krishi.com
2. उपसंचालक कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, वर्ष 2012–2017, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय देवास
4. कुमार, ब्रजेश (2010) योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली पृ.45